न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमति अणछीदेवी गुर्जर वगैराह **बनाम** श्री देवीलाल गुर्जर वगै.

धारा 111—128 एल0आर0ए मुकदमा 146/2022

01.04.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–146 / 2022 राजस्व प्राथर्ना पत्र

उनवान

1. अणछी देवी पुत्री जयराम गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. अनोपी देवी पत्नी जयराम गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मदन पुत्र जयराम गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रतनीदेवी पुत्री जयराम गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. लक्ष्मण पुत्र जयराम गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता नारू गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भाला पिता लादूलाल गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. कालूलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गिरधारी पिता भागीरथ गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. कन्हैयालाल पिता नाथूलाल गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नाराण पुत्र छोगा गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. मिठ्ठूलाल पिता रेवत गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शंकरलाल पिता रेवत गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. चांदी पत्नि लेहरू गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. भोजराज पिता लेहरू गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. भैरूलाल पिता भूरा गुर्जर निवासी रूगनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 01.04.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूगनाथपुरा प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 515 / 266 रकबा 0.2529 हैक्टयर किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम रूगनाथपुरा प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 515 / 266 रकबा 0.2529 हैक्टयर किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रूगनाथपुरा प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 515/266 रकबा 0.2529 हैक्टयर किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक गुरलां 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 गुरलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा